



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127376

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19087 वर्ष 2026

श्रीमती श्याम श्री

.....आवेदिका(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदिका(गण) के अधिवक्ता	:	सत्य प्रकाश सिंह, सीमा सिंह
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मामला अपराध संख्या 118 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/4 दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस स्टेशन खोड़ा, जिला गाजियाबाद में आवेदिका को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदिका निर्दोष हैं और उन्हें प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदिका मृतका की सास हैं। कथित घटना 20.3.2026 को घटी थी जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 22.3.2026 को दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा अत्यधिक देरी के संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदिका पर सामान्य आरोप लगाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व फांसी के कारण दम घुटना है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मृतका की गर्दन पर रस्सी के निशान के अलावा कोई अन्य चोट नहीं देखी गई। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि आवेदिका 1.4.2026 से जेल में दिन काट रही हैं और यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगी और परीक्षण में सहयोग करेंगी।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदिका को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदिका के विरुद्ध अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने की हकदार नहीं है।

5. मैंने पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदिका द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करने के बाद, और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदिका ने जमानत दिए जाने के लिए मामला सिद्ध कर दिया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त मामले अपराध में संलिप्त आवेदिका- **श्रीमती श्याम श्री** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदिका को यह वचनबंध देना होगा कि जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगी। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, परीक्षण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदिका को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि वह पर्याप्त कारण बताए बिना अनुपस्थित रहती है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता/ 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदिका परीक्षण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता / 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदिका ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होती है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दंड संहिता / 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदिका को (i) वाद आरम्भ करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/ 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिकथन दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि परीक्षण न्यायालय की राय में आवेदिका की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो परीक्षण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का यह एक आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को जमानत देने में किए गए संप्रेक्षण किसी भी तरह से विद्वान परीक्षण न्यायाधीश को साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

16 जून, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।